



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180697

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8193 वर्ष 2026

पुष्पेंद्र और 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : जय प्रकाश प्रसाद, राकेश यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 84 सन् 2026, धारा 109(1), 190, 191(2), 191(3), 115(2), 352 बी.एन.एस., 2023, थाना-रतनपुरी, जनपद-मुजफ्फरनगर में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन के विलंब के पश्चात दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सात व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिन्हें लाठी, डंडा और सरिया का प्रयोग करने की सामान्य भूमिका सौंपी गई है। घायल वंश कुमार को चार चोटें आई हैं, जिनमें से केवल तीन दिखाई देने वाली चोटें हैं। पहली सिर पर आई हुई फटी हुई चोट है तथा दो अन्य चोटों को चेहरे के बाईं ओर आघातजन्य सूजन और दाहिनी कोहनी में आघातजन्य सूजन बताया गया है। बाद में एक्स-रे रिपोर्ट में घायल की अल्ना हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। तथापि, कोई भी चोट जीवन के लिए खतरनाक नहीं थी। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि वर्तमान प्रकरण मुकदमा अपराध संख्या 83 सन् 2026 का प्रतिवादी प्रकरण है, जो घायल तथा छह अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध सायं 18:50 बजे धारा 109(1), 137(2), 65(1), 351(3), 352, 333, 3(5) बी.एन.एस., धारा 3 एवं 4(2) पॉक्सो अधिनियम तथा धारा 3(2)(वी) एवं 3(1)(डब्ल्यू)(ii) एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया था। आवेदकों को केवल इस तथ्य के कारण अभियुक्त बनाया गया है कि वे सह-अभियुक्त अरुण कुमार के रिश्तेदार हैं, जिसकी पत्नी श्रीमती राकेश ने पूर्ववर्ती प्रकरण दर्ज कराया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है। उन्होंने आवेदकों के आपराधिक इतिहास की ओर संकेत किया है, तथापि, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तथ्यात्मक निवेदनों पर विवाद नहीं कर सके।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6. आवेदक संख्या 1 को छोड़कर, जिसके विरुद्ध एक मामले का आपराधिक इतिहास बताया गया है, अन्य किसी आवेदक के विरुद्ध कोई पूर्व आपराधिक प्रकरण नहीं है। आवेदकों को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। घायल वंश कुमार को आई चोटों को जीवन के लिए खतरनाक होने की राय नहीं दी गई है। सात अभियुक्तों द्वारा एक व्यक्ति पर हमला किया जाना और उसके शरीर पर केवल तीन दिखाई देने वाली चोटों का पाया जाना, जबकि चौथी शिकायत दर्द की है, प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि सूचनादाता की ओर से झूठा फंसाए जाने अथवा अधिक संख्या में अभियुक्त बनाए जाने की संभावना हो सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 83 सन् 2026 का प्रतिवादी प्रकरण प्रतीत होती है, जो सह-अभियुक्त अरुण कुमार की नाबालिग पुत्री के साथ किए गए यौन उत्पीड़न के संबंध में दर्ज किया गया था।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदकों का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदकगण **पुष्पेंद्र, निकित एवं गौरव** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें तत्काल उक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि वे संबंधित थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक के लिए समान धनराशि का जमानतदार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाएं;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;
- iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के उद्देश्य से हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

31 अगस्त, 2026

सचिन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।